न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–93/2017 दायर दिनांकः 05.07.2017

GCMS NO:- 2017/00267

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

किशना उर्फ किशन लाल पुत्र सावला जाति धाकड निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. धर्मराज पुत्र मोतीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. गीता पत्नि शोजीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
4. रामकिशन पुत्र लादूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. रामभज पुत्र लादूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 12.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भवानीपुरा पटवार मण्डल गुढादेवजी तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के हिस्से खातेदारी की खाता संख्या 81 के खसरा संख्या 204/07–16 तथा खसरा संख्या 212/19–11 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 27 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की भूमि के खसरा संख्या 204 में आने जाने का एक मात्र रास्ता गुढादेवजी से भवानीपुरा जाने वाले ग्रेवल रोड से निकलकर बागेडा से गावडी वाले रास्ते में मिलकर सिवायचक खसरा संख्या 188 में होता हुआ ख0 सं0 186 की पूर्वी मेड के सहारे ख0 सं0 186 में होता हुआ प्रार्थी की कृषि भूमि ख0 सं0 204 में पहुंचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगणों ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्ध करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रत्यार्थीगण 1,2,4 व 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के खेत में जाने वाला रास्ता जवाब प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत परिशिष्ट ब अनुसार गुढादेवजी से बामनगांव जाने वाली ग्रेवल सडक में होकर प्रार्थी व उसके भाईयों की खसरा संख्या 217 व 218 में होकर खसरा संख्या 204 जक जाता है। परन्तु प्रार्थी व उसके भाईयों [illegible] प्रार्थी बलपूर्वक अवैध व अनाधिकृत रूप से अप्रार्थी के खेत में होकर नया रास्ता कायम कर[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:25:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार ख0 सं0 204, 212, 217 का प्रार्थी सहखातेदार है। ख0 सं0 218 व 216 भतीजों के नाम खातेदारी है। ख0 सं0 203 बहिन के नाम दर्ज है जो प्रार्थी के परिवार में ही रहती है। पहले प्रार्थी गांवडी से बागेड व गुढादेवजी से बामनगांव के रास्तों से आता जाता था। वर्तमान में भी उसी ओर से आकर काश्त कर रहे है। दोनों रास्ते राजस्व नक्शें में रास्ता दर्ज तथा बहाल है। दोनों रास्तों से प्रार्थी के भतीजो व भाई के नाम के खेत लगे हुये है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ख0 सं0 186 व 202 के मध्य के बजाय ख0सं0 220 गै0मु0 रास्ते से 219 सिवायचक व ख0 सं0 218 के उत्तरी मेड पर या ख0 सं0 220 गै0 मु0 रास्ता से ख0सं0 215, ख0 सं0 218 की दक्षिणी मेड पर दिया जा सकता है। ख0सं0 218 के बाद ख0 सं0 212 प्रार्थी का सामलाती खेत आ जाता है। ख0सं0 212 से लगवा बहिन के नाम का खेत है बहिन प्रार्थी के परिवार को साथ रहती है। उसके बाद ख0 सं0 204 आ जाता है। यह कि विकल्प संख्या 01 के अनुसार खसरा संख्या 218 में से रकबा 30 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 60 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–03 बीघा तथा खसरा संख्या 219 में से रकबा 6 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 12 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–01 बीघा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि विकल्प संख्या 01 में प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में बिन्दू A से B तक दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 00–04 बीघा है। यह कि विकल्प संख्या 02 के अनुसार खसरा संख्या 278/215 में से रकबा 8 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 16 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–01 बीघा तथा खसरा संख्या 218 में से रकबा 44 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 88 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–04 बीघा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि विकल्प संख्या 02 में प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 00–05 बीघा है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट गुढादेवजी में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम भवानीपुरा पटवार मण्डल गुढादेवजी तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के हिस्से खातेदारी की खाता संख्या 81 के खसरा संख्या 204/07–16 तथा खसरा संख्या 212/19–11 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 27 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 218 में से रकबा 30 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 60 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–03 बीघा तथा खसरा संख्या 219 में से रकबा 6 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 12 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–01 बीघा भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। जिसे परिशिष्ट "क" में विकल्प संख्या 01 प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में बिन्दू A से B तक दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 00–04 बीघा है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:25:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner